

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 532 / 14

संस्थापन दिनांक : 25.06.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—सुरेश पुत्र खचेरु जाटव उम्र 45 वर्ष

2—श्रीमती लोंगरी पत्नी सुरेश जाटव, उम्र 42 वर्ष

निवासीगण ग्राम छरेटा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504, 323 / 34, 325 / 34 भा.द. स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.02.14 को 09:45 बजे फरियादी लालताप्रसाद के घर के पीछे गली छरेटा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर कविलाश को गालियां देकर सआशय प्रकोषित किया कि वह लोकशांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करे तथा कविलास अ0सा01 की सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा दौजाबाई अ0सा02 की सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.14 को 09:45 बजे कविलास अ0सा01 अपने मकान की दीवाल बनवा रहा था तब उसी के मकान के पास आरोपी सुरेश अपनी दीवाल बनवा रहा था कविलास अपनी दीवाल की पानी से तराई कर रहा था और पानी सुरेश की दीवाल पर उचट गया इस बात पर सुरेश और लोंगश्री गालीगलौच करने लगे मना करने पर लोंगश्री ने कविलास अ0सा01 को धक्का दिया जो वह दीन पर गिर पड़ा दौजाबाई अ0सा02 आई तो लोंगश्री दीवाल की ईट गिरा रही थी जो दौजाबाई अ0सा02 के हाथ पर गिरी तब कटोरीबाई अ0सा03 व कविलाससिंह अ0सा05 ने आकर बीच बचाव कराया तत्पश्चात फरियादी कविलाश अ0सा01 ने थाना एण्डोरी में देहाती नालिसी प्र0पी-2 दर्ज कराई जिस पर थाना एण्डोरी में अप0क्र0 42 / 14 पर प्रथम सूचना

रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 19.02.14 को 09:45 बजे फरियादी लालताप्रसाद के घर के पीछे गली छरेटा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर कविलास को गालियां देकर सआशय प्रकोपित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर कविलास अ0सा01 की सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर दौजाबाई अ0सा02 की सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?

/// विचारणीय प्रश्न क्रं0 01,02 व 03 का सकारण निष्कर्ष ///

5. कविलास अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.02.16 से दो वर्ष पूर्व सावन के समय सुबह पौने दस बजे वह अपनी दीवाल पर तराई कर रहा था तब आरोपी सुरेश व लोंगश्री पर पानी के छींटे चले गये इस बात पर दोनों ने उसे धक्का दिया और टीन पर पटक दिया जिससे उसके हथेली में और दोनों हाथों में चोट आई फिर उसे ईट मारी जिससे उसके कमर में चोट आई उसकी मां दौजाबाई अ0सा02 आई तो लोंगश्री ने फावड़े से दीवाल तोड़कर उसे ईट मारी जो लोंगश्री के हाथ में लगी इसके बाद उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट प्र0पी-2 लिखवाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। 3-4 महीने बाद पुलिस ने जांच कर नक्शामौका प्र0पी-3 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। कटोरीबाई अ0सा03 व गंगासिंह अ0सा05 ने आरोपीगण को मारने से मना किया था।

6. दौजाबाई अ0सा02 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व फागुन माह की प्रातः 10 बजे की घटना है जब शोर हो रहा था तब वह पहुंची जहां आरोपी लोंगश्री ने उसे ईट से मारा उसके दाहिने हाथ की कोहनी व कलाई में ईट से चोट आई जिससे वह गैरहोश हो गयी। फिर इसके बाद क्या हुआ उसे नहीं मालूम। कविलास अ0सा01 घटना के समय घर पर ही था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि कविलास अ0सा01 मकान की दीवाल को तोड़कर पुनः बना रहा था जिसे बनाने से आरोपीगण ने रोका था यह भी स्वीकार किया है कि सुरेश और लोंगश्री गाली दे रहे थे यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने कविलास अ0सा01 को पटक लिया था और वह टीन पर गिर गया था तथा उसे लात घूंसे मारे इस सुझाव से भी इंकार किया है कि लोंगश्री दीवाल से ईट गिरा रही थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तर प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

7. साक्षी कटोरीबाई अ0सा03 ने इंकार किया है कि आरोपीगण कविलास

अ0सा01 और दौजाबाई अ0सा02 को गाली दे रहे थे और लोंगश्री ने कविलास अ0सा01 को धक्का दिया व दौजाबाई अ0सा02 को ईंट मारी जिसमें उसने बीच बचाव किया और मात्र यह कथन किया है कि आरोपी व फरियादी के बीच मकान बनाने की बात पर झगडा हो रहा था लेकिन किसने किसको मारा वह नहीं बता सकती।

8. साक्षी गंगासिंह अ0सा05 ने कथन किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने कविलास अ0सा01 को गाली गलौच कर कविलास अ0सा01 व दौजाबाई अ0सा02 की मारपीट की। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-9 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
9. साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 19.09.14 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को डॉ0 राजेन्द्र तराटिया भी पदस्थ थे वह उनके हस्ताक्षर तथा लेख पहचानता है। उसी दिनांक को थाना एण्डोरी के आरक्षक रंजीतसिंह नं0 470 द्वारा लाये जाने पर डॉ0 राजेन्द्र तराटिया ने कविलास अ0सा01 पुत्र रामस्वरूप जाटव का परीक्षण करने पर आहत के चोट नं01 दांये हाथ के अंगूठे पर 0.6गुणा0.2से. मी. का कटा हुआ घाव तथा चोट नं02 बांये हाथ के पीछे के भाग में 1.5गुणा0.1से. मी. का छिले का घाव था तथा चोट नं03 आहत पीठ में दर्द की शिकायत बताता था। उसके मतानुसार चोट नं01 धारदार वस्तु से तथा शेष चोटें कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना प्रतीत होती है। चोट नं01 एवं 3 साधारण प्रकृति की है। चोट नं03 का प्रकार एक्सरे के आधार पर दिया जायेगा। यह चोटें परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की हैं। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 राजेन्द्र तराटिया के हस्ताक्षर हैं। साक्षी डॉ0आलोक शर्मा का यह भी कथन है कि दिनांक 19.09.14 को आहत कविलास अ0सा01 का एक्स-रे परीक्षण किया था जिसमें कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया गया। एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 राजेन्द्र तराटिया के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आहत दौजाबाई अ0सा02 पत्नी रामस्वरूप का मेडीकल परीक्षण करने पर आहत के चोट नं01 दांये हाथ के कलाई के उपर 1गुणा0.4से.मी. का कटे का घाव था तथा चोट नं02 दांयी अग्रभुजा में 2गुणा1से.मी. का कटे का घाव था। उसके मतानुसार चोट नं01 धारदार वस्तु से तथा चोट नं02 कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित है। दोनों चोटों का प्रकार एक्स-रे के आधार पर दिया जायेगा। यह चोटें परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की हैं। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 राजेन्द्र तराटिया के हस्ताक्षर हैं। आहत दौजाबाई अ0सा02 का उसी दिनांक को एक्सरे परीक्षण किया गया जिसको डॉ0 राजेन्द्र तराटिया ने रिपोर्टिंग हेतु जिला चिकित्सालय भिण्ड भेजा था। एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी-8 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 राजेन्द्र तराटिया के हस्ताक्षर हैं।
10. साक्षी महेन्द्रसिंह अ0सा06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.14 को थाना एण्डोरी में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाने के अप0क0 42/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल पर पहुंचकर कविलास अ0सा01 की निशादेही पर नक्शामौका प्र0पी-3 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी दौजाबाई

अ0सा02, कविलास अ0सा01, गंगासिंह अ0सा05, कटोरीबाई अ0सा03 के बयान उनके बताये अनुसार लिए थे। दिनांक 10.06.16 को आरोपी सुरेश जाटव व लोंगश्री जाटव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-10 व 11 बनाये थे जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. साक्षी एम0एल0 डोंगर अ0सा07 ने कथन किया है कि वह दिनांक 19.02.14 को थाना एण्डोरी में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी कविलास अ0सा01 की रिपोर्ट पर से अभियुक्त सुरेश व लोंगश्री के विरुद्ध अदम चैक क्रमांक 12/14 धारा 323, 504 भा.द.वि. के तहत अदम चैक लेखबद्ध की गयी थी जो प्र0पी-2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं जो उसके द्वारा फरियादी के बताये अनुसार लेखबद्ध की गयी थी उसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं था तथा दिनांक 06.04.14 को आरोपी सुरेश व लोंगश्री को गिरफ्तार कर क्रमशः प्र0पी-10 व 11 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
12. दौजाबाई अ0सा02 को अभियोजन मामले में घोर उपहति हुई है जो अदम चैक प्र0पी-1 के अनुसार लोंगश्री द्वारा दीवार की ईंट गिराते समय ईंट लगने से कारित होना उल्लिखित है। लेकिन न्यायालयीन साक्ष्य में दौजाबाई अ0सा02 ने इस तथ्य से स्पष्ट इंकार कर कथन किया है कि उसे सआशय ईंट मारी गयी थी जबकि कथन प्र0पी-4 में भी ईंट गिरने से ही चोट आना उल्लिखित है। अतः न्यायालयीन साक्ष्य और अदम चैक प्र0पी-1 व कथन प्र0पी-4 में भिन्नता है। दौजाबाई अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में दिए कथन के संबंध में प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण में यही बताया है कि उसे कम सुनाई व दिखाई देता है इसलिए उसे घटना की जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी 80 वर्ष की वृद्ध महिला है और उसने मुख्यपरीक्षण में सुझाव स्वरूप ही महत्वपूर्ण तथ्य बताये हैं। लेकिन इन सुझावों पर भी वह स्थिर नहीं रह सकी है और उसने घटना की जानकारी से इंकार किया है। अतः दौजाबाई अ0सा02 ने अत्यधिक निर्बल साक्ष्य दी है। दौजाबाई अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में भी अभियोजन मामले से भिन्न सआशय चोट पहुंचाये जाने की अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य दी है और उसने कविलास अ0सा01 की ही घटनास्थल पर उपस्थिति से इंकार किया है और उसे घर पर होना बताया है। जबकि अदम चैक प्र0पी-1 के अनुसार और कविलास अ0सा01 द्वारा दी गयी न्यायालयीन साक्ष्य के अनुसार घटना उसी की उपस्थिति में प्रारंभ हुई थी। अतः लोंगश्री के कथन से भी कविलास अ0सा01 के न्यायालयीन कथन की संपुष्टि नहीं होती है।
13. कविलास अ0सा01 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि मकान के पिछवाड़े जहां पर वह दीवाल बना रहा था वहां उसके और आरोपीगण के मध्य दीवानी दावा चला था जिसमें निर्णय भी हो चुका है। बचाव पक्ष ने निर्णय प्र0डी-1 पेश किया है जिसके अनुसार कविलास अ0सा01 के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की गयी है कि वह मकान के पिछवाड़े में दरवाजे का निर्माण न करे। अतः जबकि फरियादी सिविल न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध व्यवहारवाद में पराजित हुआ है तब मिथ्या परिवाद की संभावना समाप्त करने के लिए अतिविश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता है। कविलास अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दोनों आरोपीगण ने उसे धक्का देकर टीन पर गिराया था और उसे कमर में ईंट मारी थी लेकिन उक्त तथ्य भी अदम चैक प्र0पी-2 में उल्लिखित नहीं है और मात्र लोंगश्री द्वारा धक्का दिया जाना और स्वतः गिर जाना ही उल्लिखित है। अतः

आरोपी सुरेश द्वारा उसे धक्का दिया जाना सुरेश व लोंगश्री द्वारा सआशय टीन पर पटकना और उसकी ईट से मारपीट किए जाने के संबंध में भी कविलास अ0सा01 ने अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य दी है।

14. कटोरीबाई अ0सा03 और गंगासिंह अ0सा05 की घटनास्थल पर उपस्थिति कविलास अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण और अदम चैक प्र0पी-1 में बतायी है। लेकिन न्यायालयीन साक्ष्य में दोनों ही साक्षी कटोरीबाई अ0सा03 और गंगासिंह अ0सा05 ने स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने उनके समक्ष कविलास अ0सा01 और दौजाबाई अ0सा02 की मारपीट की अतः दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और स्पष्टतः कविलास अ0सा01 के कथन का खण्डन किया है कि उनकी उपस्थिति में आरोपीगण ने घटना कारित की है। अतः उनके कथन से कविलास अ0सा01 के कथन की विश्वसनीयता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।
15. अतः स्वयं आहत साक्षी दौजाबाई अ0सा02 ने घोर उपहति के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है स्वेच्छा उपहति के संबंध में उसके द्वारा बताये गये उपस्थित व्यक्ति दौजाबाई अ0सा02 जोकि उसकी मां है और कटोरीबाई अ0सा03 व गंगासिंह अ0सा05 ने कविलास अ0सा01 के कथन का समर्थन नहीं किया है अपितु उसके ही कथन का खण्डन किया है कि घटना में कविलास अ0सा01 की मारपीट हुई जोकि महत्वपूर्ण तथ्य है। अतः कविलास अ0सा01 द्वारा स्वयं की उपहति के संबंध में ही एकल रूप से विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी गयी है। अश्लील शब्द उच्चारित किए जाने के संबंध में कविलास अ0सा01 ने पैरा 3 में स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने कोई गाली गलौच नहीं की और फिर बदलकर कथन किया है कि गाली गलौच की अतः अपमानित किए जाने के संबंध में भी एकल साक्षी कविलास अ0सा01 ने स्थिर कथन नहीं किए हैं अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से कविलास अ0सा01 की एकल साक्ष्य भी निर्भर रहने योग्य प्रमाणित नहीं होती है।
16. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 19.02.14 को 09:45 बजे फरियादी लालताप्रसाद के घर के पीछे गली छरेटा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर कविलास को गालियां देकर सआशय प्रकोपित किया कि वह लोकशांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करे तथा कविलास अ0सा01 की सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा दौजाबाई अ0सा02 की सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।
17. परिणामतः आरोपीगण को धारा 504, 323/34, 325/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
18. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0